

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19310/2023

1. रामफूल मीणा पुत्र श्री रामनाथ मीणा, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी वी.पी.ओ.- नायला ढाणी, छान्द वालों की, तहसील- जमवा रामगढ़, जिला- जयपुर। दिनांक 01/05/2005 से माली के पद पर कार्यरत।
2. रिछपाल सिंह पुत्र पीरू सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी इंद्रपुरा (ढोला खेड़ा), तहसील- उदयपुरवाटी, जिला- झुंझुनू (राजस्थान)। दिनांक 01/08/2004 से सहायक स्टोरमैन के पद पर कार्यरत।
3. विनोद कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ई-158, प्रेम नगर, झोटवाड़ा, जयपुर (राजस्थान)। जनवरी 1999 से वाशरमैन के पद पर कार्यरत।
4. हरदेव सिंह पुत्र श्री निंभा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी वी.पी.ओ.- रोहीणा, तहसील- जायल, जिला- नागौर (राजस्थान)। वाशरमैन के पद पर कार्यरत।
5. रोहिताश कुमार शर्मा पुत्र श्री राम किशोर शर्मा, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी गाँव- बंगाडोली, थानागाजी, अलवर (राजस्थान)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. यूनियन ऑफ इंडिया, सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110011 के माध्यम से।
2. जनरल ऑफिसर कमांडिंग, 61 सब एरिया, सी/ओ 56 ए.पी.ओ., जयपुर (राजस्थान)।
3. नंदू सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, 61 सब एरिया, सी/ओ 56 ए.पी.ओ., जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से। (प्रतिनिधि क्षमता में) पिन कोड- 302021
4. फूल सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, 61 सब एरिया, सी/ओ 56 ए.पी.ओ., जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से। (प्रतिनिधि क्षमता में) पिन कोड- 302021

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए

:

श्री एम.एस. राघव के साथ
श्री विश्वास सैनी

प्रतिवादी के लिए:

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति भुवन गोयल

आदेश

14/03/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने शुरू में ही यह महसूस करते हुए कि दिनांक 07.07.2018 का पत्र याचिकाकर्ता संख्या 2, 3 और 4 के खिलाफ था और याचिकाकर्ता संख्या 1 और 5 द्वारा मांगी गई राहत एक अलग आधार पर है, याचिकाकर्ता संख्या 1 और 5 के संबंध में इस याचिका पर जोर नहीं दे रहे हैं, और उन्हें शेष शिकायतों के निवारण के लिए कानून के अनुसार उपाय करने की स्वतंत्रता दी गई है।
2. याचिकाकर्ता संख्या 1 और 5 के संबंध में याचिका को जैसा अनुरोध किया गया है, उसी स्वतंत्रता के साथ, इस पर जोर न देने के रूप में निपटाया जाता है।
3. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 19.09.2023 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसमें मूल आवेदन (संक्षेप में 'ओ.ए.') को खारिज कर दिया गया था।
4. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था, उनके काम की प्रकृति और शुरुआती नियुक्ति की तारीख नीचे सारणीबद्ध है:-

नाम	कार्य की प्रकृति	प्रारंभिक नियुक्ति/कार्यभार	अनुभव के वर्ष
रिछपाल सिंह	सहायक स्टोरमैन	01/08/04	14 वर्ष
विनोद कुमार	वाशरमैन	जनवरी 1999	19 वर्ष
हरदेव सिंह	वाशरमैन	2005	13 वर्ष

5. संविदात्मक रोजगार के गैर-विस्तार से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने 2015 में ओ.ए. दायर किया। दायर किए गए जवाब में, प्रतिवादियों ने दिनांक 07.07.2018 के

आदेश को संलग्न किया, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ताओं के मामले को विस्तार के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था। ओ.ए. को नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। दिनांक 07.07.2018 के पत्र को चुनौती देते हुए नया ओ.ए. दायर किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई दलील यह थी कि याचिकाकर्ताओं को संविदात्मक कर्मचारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और गैर-विस्तार अवैध था। न्यायाधिकरण ने तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज किया कि संविदात्मक नियुक्तियाँ याचिकाकर्ताओं के स्थान पर नहीं की गई थीं क्योंकि उनके काम की प्रकृति पूरी तरह से अलग थी।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि संविदात्मक कर्मचारियों को संविदात्मक कर्मचारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और "पहले आओ, बाद में जाओ" (first come last go) के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। संविदात्मक रोजगार के विस्तार के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी गई और दलीलों का अवलोकन किया गया। न्यायाधिकरण के समक्ष दायर जवाब में संविदा का विस्तार न करने के लिए बताए गए कारण गंभीर थे। याचिकाकर्ताओं को इयूटी के दौरान अनुपस्थित पाया गया था और वे निजी बंगलों में काम कर रहे थे। सेना छावनी में सुरक्षा का खतरा था और उन्होंने आधिकारिक दस्तावेजों सहित सरकारी सामान चुराया था। यह दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ताओं को ग्यारह महीने के समझौते पर रखा गया था। न तो उन्हें भर्ती बोर्ड द्वारा चुना गया था और न ही उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करते समय कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। यह दलील थी कि 1988 के बाद से नियमित भर्ती नहीं की जा सकी क्योंकि क्लास- IV कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को हटाने के बाद नियुक्त किए गए संविदात्मक कर्मचारी उनके प्रतिस्थापन में नहीं थे और उन्हें कैंटीन, हॉलिडे होम, गैस एजेंसियों, स्टेशन हेड क्वार्टर और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) में नियुक्त किया गया था।

8. यद्यपि, याचिकाकर्ताओं ने जवाब का खंडन दायर किया लेकिन वे अपने संविदात्मक रोजगार के विस्तार न करने के कारणों का खंडन करने में सफल नहीं रहे और न ही यह कि बाद की नियुक्तियाँ उनके प्रतिस्थापन में थीं।

9. न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए अप्रतिबंधित तथ्यात्मक निष्कर्ष को देखते हुए, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है। याचिका खारिज की जाती है।

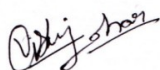
(भुवन गोयल), न्यायाधीश

(अवनीश झिंगन), न्यायाधीश

सिंपल/पायल/7

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़